न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : असलम मेहर आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 5/2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– चैनाराम 2– अमराराम पुत्रगण तुलछाराम 3– सुकली बेवा तुलछा 4– कालकी 5– पतकी 6– भंवरी 7– लीला पुत्रीगण तुलछा जातिगण भांबी निवासीगण बुसी तहसील रानी जिला पाली		1– अखिया पुत्र उम्मेद जाति भांबी निवासी बूसी तहसील रानी जिला पाली 2– भावेश पुत्र ताराचंद 3– महेश पुत्र ताराचंद 4– अलका पुत्री ताराचंद 5– पुष्पा पुत्री ताराचंद 6– परेश पुत्र दलाराम 7– जीगर पुत्र दलाराम 8– स्मीता पुत्री दलाराम 9– सरोज पुत्री दलाराम जातियान भांबी निवासीगण बूसी तहसील रानी जिला पाली 10–सरकार जरिये तहसीलदार रानी जिला पाली

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 29–11–2017 जो अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली द्वारा राजस्व अपील संख्या 22/2017 अनवान अखीया बनाम सरकार वगैरा मे पारित किया गया ।

उपस्थिति:–

1– श्री हिम्मत सिह राजपुरोहित अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री अनोपसिह सोलंकी अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से ।
3– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 10 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 04–9–2018

उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 अखिया ने अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली के समक्ष ग्राम बूसी तहसील रानी के म्युटेशन संख्या 1228 के विरूद्ध पेश की, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने बाद सुनवाई के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29–11–2017 के द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 1228 पर नायब तहसीलदार पाली द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 14–3–94 को अपास्त कर कर प्रकरण तहसीलदार रानी को हस्तगत प्रकरण मे तथाकथित वसीयत की जांच कर पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान कर, नियमो तथा साक्ष्यो को दृष्टिगत रखते हुए नये सिरे से नामांतरकरण की कार्यवाही करने के निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाने पर वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है । उक्त अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया, रेकर्ड प्राप्त होने पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

विद्वान अपीलांट आधवक्ता ने अपील मीमों मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन

किया कि अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 1228 स्वीकृत होने के 22 वर्ष पश्चात रेस्पो0 ने अपने पक्ष मे मृतक खातेदार मोतीया द्वारा दिनांक 15–7–85 को एक वसीयतनामा निष्पादित होना बताकर अपने पक्ष मे वसीयतनामे के अनुरूप कार्यवाही चाही । लेकिन यह जाहिर नही किया कि रेस्पो0 इतने लंबे समय तक बिना किसी कार्यवाही के वसीयत धारित क्यों बैठा रहा । इतने लंबे अंतराल के दौरान मृतक खातेदार मगीया व उम्मेदा के पुत्रो के बीच मौखिक बंटवाडा होकर दोनो पक्ष बराबर हिस्से पर काबिज है ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस जारी रखते हुए बतया कि प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय ने भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र को बिना कोई संतोषजनक कारण बताये अपील को अंदर मयाद सुमार किया एवं प्रकरण के गुणावगुण पर विवेचन करते हुए निर्णय किया है जबकि मयाद के बिन्दु को पहले निर्णित किया जाना चाहिये था ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय मे तहसीलदार को विधिसम्मत जांच का आदेश देना राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर है अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है । साथ ही यदि वसीयत के आधार पर किसी प्रकार का हक अधिकार रेस्पो0 का प्राप्त होता है तो उसके लिए नियमित वाद लाया जाना सही प्रक्रिया है क्योकि म्युटेशन की कार्यवाही संक्षिप्त जांच एवं समरी कार्यवाही है जिससे अधिकारो का निर्धारण संभव नही है ।

अंत मे अपीलांट अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त करने की बहस के साथ नायब तहसीलदार पाली द्वारा म्युटेशन संख्या 1228 पर पारित आदेश दिनांक 14–3–94 को यथावत रखने के लिए अपनी बहस के समर्थन मे आर.आर.डी. 2011 पेज 207, आर.आर.डी. 2011 पेज 228, आर.आर.डी. 2009 पेज 150, आर.आर.डी. 2011 पेज 786, डब्लु.एन.एल.(यू.सी.) पेज 181, डब्लु.एन.एल.(यू.सी.) पेज 188 एवं डी.एन. जे. 2019 पेज 165 की निर्णय नजीरो के उद्धरण प्रस्तुत किये ।

जवाब मे रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस मे कथन किया कि भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र को प्रकरण के गुणावगुण के साथ उचित एवं सही प्रकार से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णित किया है ।

वकील रेस्पो0 ने यह भी कथन किया कि प्रकरण मे प्रस्तुत वसीयत को किसी सक्षम न्यायालय ने अपास्त नही किया है और न ही इसे प्रभावशून्य घोषित किया है । ऐसे मे इस वसीयत के आधार पर कार्यवाही नही करना समिचीन नही है । चूंकि मृतक द्वारा वसीयत के आधार पर जो उसका हिस्सा रेस्पो0 को वसीयत के जरिये प्रदान किया गया था, वह वसीयत के अनुरूप कार्यवाही नही होने से रेस्पो0 को नही मिल पाया एवं उसके हितो पर कुठाराघात हुआ है एवं तहसीलदार द्वारा बहिस्सा बराबर का भरा गया म्युटेशन इस प्रकार उचित एवं समिचीन नही होने से निरस्तनीय करार दिया जाकर वसीयत के अनुरूप कार्यवाही किया जाना समिचीन है । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश उचित, वैद्य एवं न्यायसंगत है जिसे अपास्त करना न्यायोचित नही होगा ।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओ की बहस पर गौरपूर्वक मनन किया, उनके

तर्कों, दलीलो पर चिंतन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय एवं रेकर्ड का गहनता से अध्ययन किया । अपीलांट अधिवक्ता का कथन कि भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 5 मयाद के बिन्दु को पहले निर्णित किया जाना चाहिये था, विधि के वर्तमान प्रचलित सिद्धान्तो के सापेक्ष तार्किक नही है, माननीय उच्च न्यायालय के अनेक निर्णयो मे यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि केवल मात्र मयाद के बिन्दु पर प्रकरण समाप्त नही किया जाना चाहिये बल्कि इसके साथ प्रकरण के तथ्यों को भी मध्यनजर रखकर उचित निर्णय पारित किया जाना चाहिये, जिससे केवल मात्र मयाद के बिन्दु के आधार पर अनुतोष चाहने वाले व्यक्ति का अहित न हो । प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मयाद के बिन्दु के साथ प्रकरण के सार गर्भित तथ्यो पर गौर किया जाना उचित माना है । जहां तक वसीयत के 22 वषो तक लंबित रखने का अथवा जाहिर नही कर उसके अनुरूप कार्यवाही नही करने का प्रश्न है, तो संदेह से परे नही हो सकता । इस संबंध मे भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित प्रतीत होता है कि तहसीलदार वसीयत के बिन्दुओ पर फोरी जांच कर निर्णय पारित करें । इस संबंध मे उभयपक्ष ने यह स्वीकारोक्ति प्रकट की है कि वसीयत की वैद्यता के संबंध मे प्रथम प्राथनिकी दर्ज होने पर पुलिस विभाग द्वारा जाच अमल मे लाई जा रही है । ऐसे मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार को निर्देशित किया जाना कि वसीयत के संबंध मे जांच कर निर्णय लिया जाना न्यायसंगत है ।

जहां तक वसीयत के आधार पर म्युटेशन भरे जाने और म्युटेशन की फिसकल प्रोसिडिंग होने का प्रश्न है, यह निर्विवाद है कि म्युटेशन एक फिसकल प्रोसिडिंग है एवं इस पर कार्यवाही संक्षिप्त जांच उपरांत अमल मे लाई जाती है । तीसपर भी उभयपक्ष को खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के संबंध मे वाद अथवा वसीयत की वैद्यता के प्रश्न को चुनौती दिये जाने का सिविल कार्यवाही का अधिकार सुरक्षित रहता है । अतः अधीनस्थ न्यायालय का आलौच्य आदेश उचित, न्यायसंगत प्रतीत होता है जिसमे किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही रहती है ।

परिणामस्वरूप अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली द्वारा पारित आलौच्य आदेश दिनांक 29–11–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत उक्त अपील सारहीन होने से खरीज की जाती है ।

निर्णय आज दिनांक 04–9–2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(असलम मेहर)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

राजस्व अपील संख्या 5 / 2018

हुक्म या कार्यवाही, मय इशिनियान जज

चैनाराम वगैरा बनाम अखिया वगैरा

नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म को तामील में जारी हुए

दिनांक 23–9–2019

वकील रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सी.पी.सी. पर उक्त निर्णित पत्रावली आज पेशी पर ली गई । उक्त प्रार्थना पत्र मे उक्त अनवान की अपील मे पारित निर्णय की दिनांक 4–9–2019 के स्थान पर टंकण त्रुटिवश दिनांक 4–9–2018 अंकित कर दी गई है जिसे सुधार कर निर्णय दिनांक 4–9–2019 किया जाने का निवेदन किया । इसी प्रकार निर्णय मे रेस्पो0 संख्या 5 पुष्पा पत्नी ताराचंद के स्थान पर पुष्पा पुत्री ताराचंद तथा रेस्पो0 संख्या 9 सरोज पत्नी दलाराम के स्थान पर सरोज पुत्री दलाराम अंकित किया गया है जिसे दुरस्त करने का निवेदन किया ।

हमने धारा 152 सी.पी.सी. के प्रावधानो का अवलोकन किया, जिसमे दिये गये प्रावधानो के तहत वकील रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत धारा 152 सी.पी.सी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की सही दिनांक 4–9–2019 पढी जाये तथा निर्णय मे रेस्पो0 संख्या 5 पुष्पा पुत्री ताराचंद के स्थान पर पुष्पा पत्नी ताराचंद तथा रेस्पो0 संख्या 9 सरोज पुत्री दलाराम के स्थान पर सरोज पत्नी दलाराम पढा जाये । उक्त आदेश मूल आदेश का अंग सुमार करते हुए उसके साथ पढा जायें । प्रस्तुत धारा 152 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किया जाये ।

संभागीय आयुक्त, जोधपुर